प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

विविध याचिका क्षतिपूर्ति सं 39/2020

पारस जैन पिता सुरेंद्र जैन उम्र लगभग 30 वर्ष निवासी जैन मंदिर के पास, अकलतरा, थाना अकलतरा, जिला जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़।

––– अपीलकर्ता

बनाम

1 – दीपक कुमार निषाद, पिता धूमनाथ, उम्र लगभग 20 वर्ष, निवासी ग्राम लिमतारा, थाना दर्रीघाट, पुलिस थाना एवं तहसील मस्तुरी, जिला (राजस्व एवं सिविल) बिलासपुर, छत्तीसगढ़

2 – शिव प्रसाद भोई, पिता गेंद्रम भोई, निवासी वार्ड संख्या 10, मकान संख्या 66, बुटापारा, देवरीखुर्द, पुलिस थाना तोरवा, जिला (राजस्व एवं सिविल) बिलासपुर, छत्तीसगढ़

3 – यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा प्रबंधक के माध्यम से, शाखा कार्यालय – दूसरी मंजिल, गुरुकृपा टावर, अंबर ऑटोमोबाइल्स के पास, व्यापार विहार, बिलासपुर, तहसील एवं जिला (राजस्व एवं सिविल) बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

––– उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी हेतु:–– श्री आनंद हेतुशरवानी, अधिवक्ता

उत्तरवादी सं १ और २ हेतु:–– तामिल किया गया यद्यपि कोई प्रस्तुत नहीं हुआ

उत्तरवादी सं 3 हेतु:–– श्री सुधीर अग्रवाल, अधिवक्ता

विविध याचिका क्षतिपूर्ति सं 363/2020

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा प्रबंधक के द्वारा , शाखा कार्यालय, दूसरी मंजिल गुरु कृपा टॉवर, अंबर ऑटो मोबाइल के सामने, व्यापार विहार, बिलासपुर, तहसील तथा जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़

(अपीलकर्ता)

--- अपीलार्थी

बनाम

1 – पारस जैन पिता सुरेंद्र जैन, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी – जैन मंदिर के पास, अकलतरा, थाना अकलतरा, जिला – जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़।दावाकर्ता

2 – दीपक कुमार निषाद, पिता धूमनाथ, 20 वर्ष, निवासी – ग्राम लिमटारा, पोस्ट – दरीघाट, थाना तथा तहसील – मस्तूरी, जिला – बिलासपुर, छत्तीसगढ़।(वाहन चालक)

3 – शिव प्रसाद भोई पिता गेंद्रम भोई निवासी वार्ड नं. 7 मकान नं. – 66 बुटापारा थाना – तोरवा तहसील तथा जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़।(वाहन स्वामी)

--- उत्तरवादीगण

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अपीलार्थी (ओं) हेतु:-- श्री सुधीर अग्रवाल, अधिवक्ता

उत्तरवादी सं १ हेतु :-- श्री आनंद केशरवानी, अधिवक्ता

उत्तरवादी सं 2 तथा 3 हेतु :-- कोई प्रस्तुत नहीं हुआ

<u>एकल पीठ:--माननीय श्री पार्थ प्रतीम साहू, न्यायाधीश</u>

<u>पीठ पर निर्णय</u>

07/05/2025

1. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से, प्रकरण की अंतिम सुनवाई की जाती है

2. एमएसी संख्या 39/2020 और एमएसी संख्या 363/2020 का निर्णय इस संयुक्त आदेश द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि दोनों अपीलें बिलासपुर (केंद्र शासित प्रदेश) के 8 वें मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दावा प्रकरण संख्या 228/2018 में दिनांक 30.08.2019 को पारित एक ही निर्णय से संबंधित हैं।

3. दावाकर्ता द्वारा माननीय दावा न्यायाधिकरण द्वारा प्रदान की गई क्षतिपूर्ति की राशि में वृद्धि की मांग करते हुए एमएसी संख्या 39/2020 दायर की गई है और बीमा कंपनी द्वारा माननीय न्यायाधिकरण द्वारा प्रदान की गई क्षतिपूर्ति की राशि को दो आधारों पर चुनौती देते हुए एमएसी संख्या 363/2020 दायर की गई है:

पहला, मृतक का पति होने के नाते दावाकर्ता मृतक की आय पर आश्रित नहीं था क्योंकि इस संबंध में कोई विशिष्ट कथन नहीं है; दूसरा, प्रस्तुत किए गए आयकर रिटर्न (आईटीआर) (एक्स.पी–16 और एक्स.पी–17) के आधार पर बताई गई आय स्वीकार्य नहीं है।उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जिस व्यवसाय से आय का आकलन किया जा रहा है, वह आवेदक के पिता के नाम पर पंजीकृत है।

4. इन दोनों अपीलों के निराकरण के लिए सुसंगत तथ्य यह हैं कि 28.02.2018 को प्रतीक्षा उर्फ रेशु जैन अपनी दुकान बंद करके अपने घर जा रही थी। उसकी सास शोभा जैन एक पुरानी टीवीएस जेस्ट मोपेड की पिछली सीट पर बैठी थीं, जिसे वह चला रही थी। वाहन धीरे–धीरे और सावधानी से उसकी तरफ चलाया जा रहा था।जब वह रात करीब 8:30 बजे अंबेडकर चौक अकलतारा के पास पहुंची, तो सामने से आ रहे वाहन (अनावेदक संख्या 1) संख्या सी जी–10–ए एच–7208 के चालक ने लापरवाही और तेज गति से गाड़ी चलाते हुए प्रतीक्षा जैन के वाहन को टक्कर मार दी, जिससे प्रतीक्षा जैन के सिर, पेट, जांघ और शरीर के अन्य कई हिस्सों पर गंभीर चोटें आईं।उन्हें तत्काल इलाज के लिए अकलतारा सी एच सी के बाल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें उच्च चिकित्सा केंद्र में रेफर कर दिया गया।इसके बाद, परिवार के सदस्यों ने उन्हें बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान, प्रतीक्षा उर्फ रेशु जैन का 1 मार्च 2018 को निधन हो गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. दावाकर्ता पारस जैन, मृतक प्रतीक्षा जैन के पति ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (जिसे आगे "1988 का अधिनियम" कहा गया है) की धारा 166 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें उन्होंने निवेदन किया कि दुर्घटना के दिन मृतक प्रतीक्षा जैन 28 वर्ष की स्वस्थ महिला थीं और ओशो आनंद उत्सव डेयरी मिठाई और नमकीन की दुकान की स्वामी थीं।उपरोक्त व्यवसाय से वह प्रति वर्ष 4,00,000 रुपये की आय अर्जित कर रही थीं, जिससे वह अपना और अपने परिवार का भरण–पोषण कर रही थीं।मोटर दुर्घटना में प्रतीक्षा जैन की असामयिक मृत्यु के कारण, याचिकाकर्ता उनकी आय से वंचित हो गया है।28.02.2018 को दुर्घटना का कारण बनने वाला वाहन बोलेरो मैक्सी प्लस था, जिसका नंबर सी जी–10–ए एच––7208 था और इसे अनावेदक सं 1 चला रहा था।अनावेदक सं 2 उक्त वाहन का स्वामी है और अनावेदक सं 3 बीमाकर्ता है। आवेदक/दावाकर्ता ने अनावेदक से संयुक्त रूप से और अलग–अलग रूप से विभिन्न मदों के अंतर्गत कुल 76,53,000/– रुपये के क्षतिपूर्ति की मांग की है, जिस पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी देय होगा।

6.अनावेदक संख्या 1 और 2 ने दावा आवेदन में किए गए सभी दावों को खारिज करते हुए लिखित बयान दाखिल किया है और कहा है कि दुर्घटना के दिन अनावेदक संख्या 1 बोलेरो मैक्सी कैब संख्या सी जी –10–ए एच–7208 वाहन को सावधानीपूर्वक चला रही थी, लेकिन प्रतीक्षा उर्फ रेशु जैन लापरवाही से मोपेड चला रही थी, जिसके कारण वह खुद बोलेरो मैक्सी कैब से टकरा गई और दुर्घटना का शिकार हो गई। अनावेदक संख्या 2/मालिक ने दुर्घटना में शामिल वाहन का बीमा अनावेदक संख्या 3/बीमा कंपनी से कराया हुआ है, इसलिए क्षतिपूर्ति का भुगतान करने की जिम्मेदारी अनावेदक संख्या 3 पर है। अतः, आवेदक द्वारा अनावेदक संख्या 1 और 2 के विरुद्ध दायर दावा आवेदन खारिज किया जाए

7. अनावेदक संख्या 3/बीमा कंपनी ने अपना लिखित बयान दाखिल कर दावा आवेदन में किए गए सभी दावों का खंडन किया है और कहा है कि आवेदक मृतक प्रतीक्षा उर्फ रेशु जैन पर आश्रित नहीं थी और मृतक प्रतीक्षा उर्फ रेशु जैन डेयरी व्यवसाय चलाकर 4,00,000/- रुपये प्रति वर्ष की आय अर्जित नहीं करती थी, और उसकी आयु 28 वर्ष नहीं थी।अनावेदक संख्या 1 ने कोई दुर्घटना नहीं की, बल्कि मृतक ने स्वयं तेज गति से लापरवाही से मोपेड चलाते हुए बोलेरो वाहन को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और मोपेड चालक (मृतक) के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।मृतक कोई काम नहीं करती थी और अपने पति पर आश्रित थी।यह दुर्घटना दो वाहनों के बीच हुई थी, इसलिए वाहन के स्वामी तथा चालक आवेदक को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी हैं

8. माननीय दावा न्यायाधिकरण ने संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्क और साक्ष्यों का मूल्यांकन करते हुए पाया कि घटना दिनांक को, अनावेदक संख्या 1 द्वारा लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाया जा रहा था, जिसके कारण दुर्घटना हुई, जिसमें प्रतीक्षा जैन गंभीर रूप से घायल हो गईं और मोटर दुर्घटना में लगी चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई।यह पाते हुए कि बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन सिद्ध नहीं हुआ है, माननीय दावा न्यायाधिकरण ने अनावेदको दावाकर्ता को क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया और कुल 45,42,790 रुपये का क्षतिपूर्ति प्रदान किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. एम.ए.सी. संख्या 39/2020 में अपीलकर्ता/दावाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि क्षतिपूर्ति की राशि बढ़ाने की मांग वाली यह अपील केवल एक आधार पर दायर की गई है कि माननीय न्यायाधिकरण ने इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि दावेदार मृतक का जीवनसाथी है, 1/3 के बजाय 1/2 की कटौती लागू करने में गलती की है।

10. एमए (सी) संख्या 363/2020 में अपीलकर्ता-बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि निर्विवाद रूप से, दावाकर्ता मृतक का पति था।दावाकर्ता द्वारा ऐसा कोई विशिष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो कि वह मृतक की आय पर आश्रित था।दावाकर्ता की मृतक की आय पर निर्भरता विधि के अनुसार सिद्ध नहीं हुई है।अतः, वह 'आश्रितता हानि' मद के अंतर्गत किसी भी प्रकार के क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं है, बल्कि अन्य पारंपरिक मदों के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का हकदार है।अपने दावे के समर्थन में, वे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम लालनीपुई (2006) 13 एससीसी 226, श्रीमती हाफिजुन बेगम बनाम मोहम्मद इकराम हेक और अन्य (2007 एआईआर एससीडब्ल्यू 4840) और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सोनिग्रा जूही उत्तमचंद (2025) 3 एससीसी 23** के निर्णय पर भरोसा करते हुए तर्क देते हैं कि दावाकर्ता को मृतक पर निर्भरता साबित करनी होगी। उन्होंने तर्क दिया कि मृतक की आय का आकलन, जो माननीय न्यायाधिकरण द्वारा दस्तावेज़ एक्स. पी.-16 और एक्स. पी.-17 अर्थात आयकर रिपोर्ट के आधार पर किया गया है, वह भी त्रुटिपूर्ण है।दावाकर्ता पारस जैन (ए.डब्ल्यू 1) के बयान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि ओशो आनंद उत्सव डेयरी स्वीट्स एंड नमकीन नामक दुकान उनके पिता के नाम पर दर्ज थी।उन्होंने यह भी बताया

कि साक्ष्य में ऐसा कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि करदाता के हस्ताक्षर वाली पावती आयकर विभाग को भेजी गई थी, इसलिए एक्स. पी–16 और एक्स. पी–17 के रूप में प्रस्तुत पावती को मृतक की आय के आकलन में विचारणीय नहीं माना जा सकता है ।अपने तर्क के समर्थन में, वह **श्रीमती सुशीला जायसवाल और अन्य बनाम ब्रह्मानंद देशमुख और अन्य (एमएसी संख्या 1232/2014)** मामले में इस न्यायालय की युगल पीठ द्वारा 04.08.2020 को दिए गए निर्णय पर भरोसा जताते हुए यह तर्क देते हैं कि आयकर रिपोर्ट की स्वीकृति पर करदाता के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।

11. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है।

12. जहां तक बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील, अर्थात् एमएसी संख्या 363/2020 का संबंध है, अपीलकर्ता/बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने तीन आधार उठाए हैं।पहला आधार यह है कि दावाकर्ता मृतक की आय पर आश्रित नहीं था, आय सिद्ध नहीं हुई है क्योंकि मृतक की आय दर्शाने वाली दुकान/ओशो आनंद उत्सव डेयरी स्वीट्स एंड नमकीन उसके पिता के नाम पर दर्ज है, जैसा कि दावाकर्ता ने स्वीकार किया है, और यह भी कि दोनों आयकर आवेदन तीन दिनों के अंतराल में दाखिल किए गए हैं।

13. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क को समझने के लिए, मैंने दावा प्रकरण का अभिलेख देखा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. दावाकर्ता द्वारा दायर दावे के आवेदन में उल्लेख किया गया है कि दुर्घटना के दिन मृतक की आयु लगभग 28 वर्ष थी।वह ओशो आनंद उत्सव डेयरी मिठाई और नमकीन की दुकान (स्वयं का व्यवसाय) चला रही थी और आयकर रिपोर्ट (आईटीआर) दाखिल कर रही थी। यह भी कहा गया है कि दावाकर्ता मृतक की आय पर आश्रित था।साक्ष्य में, दावाकर्ता (ए.डब्ल्यू1) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे अपनी पत्नी की मृत्यु तक साथ रह रहे थे। प्रतिपरीक्षा में, इस साक्षी ने कहा कि उसने पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति (एक्स.पी–15) के रूप में अभिलेख में रखा गया है।एक्स.पी–15 के अवलोकन से पता चलता है कि यह खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया 'लाइसेंस और पंजीकरण' है।फर्म/संगठन का नाम “ओशो आनंद उत्सव डेयरी स्वीट्स एंड नमकीन” बताया गया है।पता बजरंग चौक, अकलतारा है और आवेदन की तिथि 11.10.2017 है। एक अन्य दस्तावेज भी उपलब्ध है, जो 11.10.2017 को जमा किए गए चालान की प्रति है, जिसमें ओशो आनंद उत्सव डेयरी स्वीट्स एंड नमकीन का उल्लेख है और मालिक का नाम प्रतीक्षा जैन है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत लाइसेंस/लाइसेंस के नवीनीकरण के आवेदन का ऑनलाइन विवरण भी उपलब्ध है, साथ ही एक्स.पी–15 भी है, जिसमें आवेदक का नाम प्रतीक्षा जैन (मृत) और व्यवसाय/दुकान का नाम ओशो आनंद उत्सव डेयरी स्वीट्स एंड नमकीन बताया गया है।ये दस्तावेज़ दुर्घटना दिनांक से पहले के हैं।दुर्घटना दिनांक 28.08.2018 है, जबकि पंजीकरण संबंधी उपर्युक्त दस्तावेज़ 11.10.2017 के हैं।

15. दावाकर्ता ने आयकर रिपोर्ट (आईटीआर) की प्रतियां भी एक्स.पी.– 16 और एक्स.पी.– 17 के रूप में प्रस्तुत की हैं।आईटीआर के पहले मद में मृतक का व्यवसाय ओशो आनंद उत्सव डेयरी स्वीट्स एंड नमकीन के रूप में दर्ज है।यह सत्य है कि आकलन वर्ष 2016–17 और 2017–18 के लिए आयकर रिपोर्ट तीन दिनों के अंतराल में दाखिल की गई थी, हालांकि, मृतक द्वारा अपने जीवनकाल में आयकर रिपोर्ट जमा करने पर कोई विवाद नहीं है, क्योंकि आयकर विभाग के कार्यालय अधीक्षक (ए.डब्ल्यू 3) एंटन कुजुर ने विभाग केसमक्ष आयकर रिपोर्ट जमा करने की बात स्वीकार की थी।उन्होंने विभाग के आयकर अधिकारी के हस्ताक्षर की भी पहचान की।दोनों आयकर दस्तावेजों की जांच से पता चलता है कि आयकर दस्तावेज दुर्घटना की दिनांक से काफी पहले संबंधित विभाग यानी आयकर विभाग के समक्ष जमा किए गए थे।पहला आयकर विवरण 23.06.2017 को और दूसरा 26.06.2017 को जमा किया गया था, जबकि दुर्घटना 28.02.2018 को हुई थी।कोई भी व्यक्ति भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान नहीं लगा सकता है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि मृतक द्वारा जमा किया गया आयकर विवरण, भले ही पहले आयकर विवरण जमा करने के 3–4 दिनों के अंतराल पर ही जमा किया गया हो, केवल मोटर दुर्घटना में अधिक मुआवजा प्राप्त करने के अनुचित लाभ के उद्देश्य से था। इसलिए आयकर विवरण (एक्स पी/–16 और एक्स पी/–17) में बताई गई आय पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. उपरोक्त चर्चाओं के आलोक में, अपीलकर्ता–बीमा कंपनी के विद्वान वकील का यह तर्क कि मृतक ओशो आनंद उत्सव डेयरी स्वीट्स एंड नमकीन का व्यवसाय नहीं चला रहा था/प्रबंधित नहीं कर रहा था और न्यायाधिकरण द्वारा भरोसा की गई 3,72,575 रुपये की आय त्रुटिपूर्ण है, मान्य नहीं है और इसे अस्वीकार किया जाता है।

17. **सोनिग्रा जूही उत्तमचंद (उपरोक्त)** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आयकर रिपोर्ट की स्वीकार्यता पर विचार किया और इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है :–– ––

"8. मासिक आय का निर्धारण कर रिटर्न को ध्यान में रखते हुए तभी किया जा सकता है जब कर भुगतान का विवरण उचित रूप से साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाए ताकि न्यायाधिकरण/न्यायालय विधि के अनुसार आय की गणना कर सके।"

18. वर्तमान प्रकरण में, आयकर विभाग के साक्ष्य संख्या पी–16 और साक्ष्य संख्या पी–17 को आयकर विभाग के साक्ष्य संख्या 3 अधिकारी द्वारा सिद्ध किया जा चुका है, इसलिए उपरोक्त उद्धृत प्रकरण और श्रीमती सुशीला जायसवाल (उपरोक्त) के मामले में दिए गए निर्णय इस प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं।

19. इस स्तर पर, अपीलकर्ता/बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता व्यक्त करते है कि यदि यह न्यायालय मृतक के व्यवसाय को, जैसा कि दावेदार ने बताया है, और उससे होने वाली आय को भी स्वीकार करता है, तो भी माननीय न्यायाधिकरण ने मृतक की आय 3,72,575 रुपये निर्धारित करने में त्रुटि की है।माननीय

न्यायाधिकरण ने आयकर अधिनियम के अध्याय–VI-A के अंतर्गत आयकर पत्र में उल्लिखित 73,508 रुपये की कटौती नहीं की है, और क़टौती के बाद मृतक की वार्षिक आय 2,99,070 रुपये होगी।

20. बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को समझने के लिए, अभिलेखों के अवलोकन से पता चलता है कि दावाकर्ता ने कर सलाहकार द्वारा तैयार की गई गणना पत्रक को अभिलेख में प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किस मद के अंतर्गत कटौती की गई है।दावाकर्ता का यह दायित्व था कि वह साक्ष्य के रूप में सभी सुसंगत दस्तावेज़ प्रस्तुत करे जिससे यह सिद्ध हो सके कि की गई कटौती आय से अनिवार्य रूप से काटी जाने वाली राशि के लिए नहीं है, जिसका उपयोग शुद्ध आय का आकलन करने के लिए किया जाना चाहिए, या की गई कटौती मृतक द्वारा आयकर अधिनियम के अध्याय–छह–क के तहत किए गए निलम्बों के लिए है। अतः, इस न्यायालय की राय में, माननीय न्यायाधिकरण ने मृतक की आय 3,72,575 रुपये के बजाय 2,99,070 रुपये (372575–73508) आंकने में त्रुटि की है।अतः, क्षतिपूर्ति की राशि की गणना के प्रयोजन के लिए मृतक की आय 2,99,070 रुपये होगी।तदनुसार आदेश दिया जाता है।

21. बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए अगले आधार के संबंध में कि दावाकर्ता मृतक की आय पर आश्रित नहीं था, यह निर्विवाद है कि मृतक दावाकर्ता की पत्नी थी।शपथपत्र के रूप में प्रस्तुत मुख्य साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे दोनों एक ही छत के नीचे संयुक्त रूप से रह रहे थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. उपरोक्त मामले के तथ्यों के आधार पर, जब पति–पत्नी दोनों काम करते हुए साथ रहते हैं, तो वे दोनों की आय का लाभ उठा रहे थे, भले ही दोनों की अलग–अलग आय हो।आश्रितता का निर्धारण करने के लिए, दावाकर्ता और मृतक के बीच के संबंध पर सर्वप्रथम विचार किया जाना चाहिए।यदि वे पति–पत्नी हैं, तो यह स्पष्ट है कि पति–पत्नी दोनों की आय का उपयोग वे संयुक्त रूप से कर रहे हैं और दोनों की आय को जोड़कर वे अपने जीवन स्तर और सुख–सुविधाओं को बनाए रख रहे हैं।पति–पत्नी में से किसी एक की मृत्यु के बाद,दूसरे पति या पत्नी को अपने जीवनसाथी की आय का नुकसान होगा, जिससे जीवित जीवनसाथी के जीवन स्तर पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, यह कहना उचित नहीं होगा कि केवल आयहीन जीवनसाथी ही दूसरे जीवनसाथी की आय पर आश्रित माना जाए।उपरोक्त चर्चा के आधार पर, अपीलकर्ता बीमा कंपनी के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क कि मृतक का पति दावाकर्ता मृतक की आय पर आश्रित नहीं था क्योंकि वह भी एक कमाने वाला व्यक्ति है, मान्य नहीं है और इसे अस्वीकार किया जाता है।

23. बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आश्रितता के प्रमाण के संबंध में जिन तीन निर्णयों का हवाला दिया गया है, वे तथ्यों के आधार पर भिन्न हैं।लालनीपुई (उपरोक्त), सोनिग्रा जूहीउत्तमचंद (उपरोक्त) और श्रीमती हाफ़िज़ुन बेगम (उपरोक्त) के मामले में,दावाकर्ता में से कोई भी मृतक का जीवनसाथी नहीं है।पहले मामले में, अर्थात् लालनीपुई (उपरोक्त), मृतक बेटी थी जो अपने माता–पिता के साथ नहीं रह रही थी और न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि वह घरेलू खर्चों में योगदान दे रही थी।दूसरे मामले में, अर्थात् सोनिग्रा जूही उत्तमचंद (उपरोक्त) में, दावाकर्ता मृतक का भाई है, और श्रीमती हाफ़िज़ुन

बेगम (उपरोक्त) के मामले में भी, दावाकर्ता मृतक के भाई थे। न्यायालय ने यह मानते हुए कि दावा आवेदन दाखिल करने की पात्रता और आश्रितता से वंचित होने के कारण मुआवजे की पात्रता दो अलग–अलग पहलू हैं जिन पर न्यायालयों को विचार करना चाहिए।वर्तमान मामले में, मृतक दावाकर्ता की पत्नी थी, और इसके अलावा, अभिवचन और साक्ष्यों में यह कहा गया है कि वे दोनों दावाकर्ता की पत्नी की मृत्यु तक साथ रह रहे थे।

24. एमएसी संख्या 39/2020 में अपीलकर्ता/दावेदार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए आधार के संबंध में, जहां तक माननीय न्यायाधिकरण द्वारा 1/3 के बजाय ½ की कटौती लागू करने का सवाल है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरला वर्मा (श्रीमती) और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और अन्य (2009) 6 एससीसी 121 के मामले में स्पष्ट रूप से कहा है किजहां मृतक विवाहित था, वहां व्यक्तिगत और जीवन व्यय के लिए कटौती 1/3 होनी चाहिए।इस मामले में, मृतक विवाहित व्यक्ति था और दावेदार मृतक का पति है, इसलिए सरला वर्मा (उपरोक्त) मामले के निर्णय के आलोक में इस न्यायालय की राय में, ½ के बजाय 1/3 की कटौती होनी चाहिए।अत: माननीय न्यायाधिकरण द्वारा ½ की कटौती लागू करना त्रुटिपूर्ण है और तदनुसार इसे अपास्त कर दिया गया है।यह आदेश दिया जाता है कि मृतक के व्यक्तिगत और जीवन व्यय के लिए 1/3 की कटौती की जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. उपरोक्त चर्चाओं के आधार पर मृतक की आय 2,99,070 रुपये आंकी गई है।चूंकि मृतक दुर्घटना के समय 28 वर्ष का था, इसलिए मृतक की निर्धारित आय में भविष्य की संभावनाओं के लिए 40% की वृद्धि की जाएगी, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य (2017) 16 एससीसी 680 के मामले में निर्णय दिया है।निजी और जीवन निर्वाह व्यय के लिए 1/3 की कटौती की जाएगी और गुणक 17 लागू होगा।दावाकर्ता को 'पति/पत्नी के साथ संबंध टूटने से हुए नुकसान' के लिए 40,000 रुपये, 'संपत्ति के नुकसान' और 'अंतिम संस्कार व्यय' के लिए 15,000 रुपये प्रत्येक और 'चिकित्सा व्यय' के लिए 29,139 रुपये प्राप्त करने का भी हकदार होगा।

26. उपरोक्त चर्चाओं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर उल्लिखित निर्णयों के आधार पर, मुझे क्षतिपूर्ति की राशि की पुनः गणना निम्नानुसार करना उचित लगता है: –

स.क.	शीर्ष		क्षतिपूर्ति
1)	(ए) वार्षिक आय – 2,99,070/- रुपये (बी) भविष्य की संभावनाओं के लिए 40% की दर से अतिरिक्त राशि		₹ 47,45,244

	(2,99,070 x 40% = 1,19,628) 2,99,070 + 1,19,628 = 4,18,698 (सी) व्यक्तिगत और जीवन निर्वाह व्यय के लिए 1/3 की कटौती (418698 x 1/3 = 139566) 418698 - 139566 = 279132 (डी) 17 का गुणक 279132 x 17 = 47,45,244/-		
2)	अंतिम संस्कार का खर्च		₹15,000
3)	संपत्ति का नुकसान		₹15,000
4	चिकित्सा व्यय		₹ 29,139
8	दावाकर्ता /पति को 40,000/- रुपये के वैवाहिक संघ का नुकसान।		₹ 40,000
	कुल क्षतिपूर्ति	:--	₹ 48,44,383

27. अब अपीलकर्ताओं/दावाकर्ता को माननीय दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए 45,42,790 रुपये के बजाय कुल 48,44,383 रुपये का क्षतिपूर्ति दिया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. उपर्युक्त कुल क्षतिपूर्ति की राशि पर दावा आवेदन दाखिल करने की तिथि से भुगतान होने तक 7.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा। दावाकर्ता को पहले से भुगतान की गई कोई भी क्षतिपूर्ति की राशि इस न्यायालय द्वारा अब गणना और प्रदान की गई कुल क्षतिपूर्ति की राशि में समायोजित की जाएगी।आक्षेपित निर्णय की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

29. परिणामस्वरूप, दोनों अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं।आक्षेपित निर्णय को ऊपर बताए गए अनुसार संशोधित किया जाता है।

सही/–
(पार्थ प्रितीम साहू)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वियन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur